

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.स्था.4/375/2019/4746

भोपाल, दिनांक 26/2/19

—:: आदेश ::—

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति (शिक्षण संवर्ग) सेवा एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप जनजातीय कार्य विभाग की शालाओं में कार्यरत स्थानीय निकाय के वरिष्ठ अध्यापकों, अध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति (शिक्षण संवर्ग) सेवा एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 में निहित प्रावधानों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से मान्य की गयी है। नियुक्त किये गये लोक सेवकों को दिनांक 01.07.2018 की स्थिति में उन्हें छठवें वेतनमान में देय वेतन एवं भत्तों के समकक्ष सातवें वेतनमान में नियमानुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26/2/19

पृ0क्रमांक/शि.स्था.3/375/2019/4747
प्रतिलिपि :-

- 1/- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2/- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3/- आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4/- आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5/- आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 6/- आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7/- आयुक्त, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ मध्यप्रदेश भोपाल।
- 8/- महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 9/- आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल।
- 10/- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 11/- समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 12/- समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश को आदेशित किया जाता है कि वह आहरण संवितरण अधिकारी को प्रति उपलब्ध करावें।
- 13/- समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- 14/- समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश।

आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश